

लोक-सुनवाई का वृत्त

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार की अधिसूचना संख्या: S.O. 1533, Dated 14.09.2006 यथा संशोधित के अनुपालन में बालू-घाटों से बालू का उत्खनन हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति निर्गत करने से पूर्व परियोजना प्रभाव क्षेत्र के नागरिकों से उनकी टिप्पणी, विचार एवं सलाह प्राप्त किये जाने का प्रावधान है। जिसके अनुपालन हेतु लोक सुनवाई संपन्न कराया जाता है।

मेसर्स उमा एसोसिएट्स इन्फ्राटेक डेवेलॉपर्स प्रा०लि०, निदेशक: श्री आनन्द सिंह, पिता: श्री रामगोपाल सिंह, एस० 20/56-102एफ०/02/03, सोनल सदन, द-मॉल रोड कैन्टोन्मेंट, जिला: वाराणसी (उत्तर प्रदेश)- 221002 द्वारा औरंगाबाद जिला स्थित सोन नदी, बालू घाट/ब्लॉक नं०: औरंगाबाद 32, MOEF SON-IC, मौजा: महुआवाँ, पो०+थाना: बरेन ओ०पी०, ब्लॉक: नबीनगर, जिला: औरंगाबाद, बिहार में कुल 35.0 हेक्टेयर (86.45 एकड़) क्षेत्रफल में 6,30,000 घनमीटर प्रतिवर्ष (11,34,000 टन/वर्ष) बालू का उत्खनन के उद्देश्य से राज्य पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, बिहार, पटना में पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन समर्पित किया गया है। प्राधिकरण द्वारा तदनुसार उक्त आलोक में Terms of Referance (TOR) की प्रति आवेदक को उपलब्ध कराया है।

लोक-सुनवाई संपन्न कराने हेतु आवेदक द्वारा तदनुसार बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद को सशुल्क आवेदन समर्पित कराया गया है, जिसके तहत दिनांक 14.08.2026 को अपराह्न 12:30 बजे से प्रखण्ड कार्यालय, नबीनगर, जिला: औरंगाबाद में अपर समाहर्ता (लो०शि०नि०प०), औरंगाबाद की अध्यक्षता में लोक सुनवाई संपन्न करायी गयी।

आहूत लोक सुनवाई में प्रखण्ड कार्यालय, नबीनगर के सभागार में निम्नलिखित पदाधिकारी एवं स्थानीय नागरिक उपस्थित रहे:-

1. श्री जय प्रकाश नारायण, अपर समाहर्ता (लो०शि०नि०प०), औरंगाबाद;
2. श्री अंजनी कुमार सिन्हा, सहायक पर्यावरण अभियंता;
बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद, मुख्यालय, पटना;
3. श्री अंकित कुमार, जिला खनन पदाधिकारी, औरंगाबाद;
4. श्री राजू कुमार, खान निरीक्षक, खनन कार्यालय, औरंगाबाद;
5. श्री कुमार प्रत्यूष, खान निरीक्षक, खनन कार्यालय, औरंगाबाद;
6. श्री मुन्ना कुमार शर्मा, पर्यावरणीय सलाहकार, मेसर्स ज्ञान एन्वायरो प्रा०लि०, पटना;
7. श्री गुड्डू कुमार, प्रतिनिधि, मेसर्स उमा एसोसिएट्स इन्फ्राटेक डेवेलॉपर्स प्रा०लि०, वाराणसी;
8. महुआवाँ, रेतहर, रघुनाथपुर एवं ससना, नबीनगर अंचल के कुल 14-नागरिक।

अध्यक्ष महोदय की अनुमति से लोक सुनवाई आरम्भ करते हुए बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद के सहायक पर्यावरण अभियंता द्वारा सभी उपस्थित पदाधिकारियों एवं प्रस्तावित प्रभाव क्षेत्र के उपस्थित नागरिकों का स्वागत किया गया। उन्हें अवगत कराया गया कि प्रस्तावक के पर्यावरणीय सलाहकार द्वारा प्रस्तावित परियोजना के तहत निर्गत Terms of Referance (TOR) के अनुरूप बालू उत्खनन, भण्डारण, उठाव एवं परिवहन के दौरान उत्पन्न जल, वायु एवं ध्वनि प्रदूषण की रोक-थाम हेतु पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन तैयार कराया गया है। इस संबंध में विस्तृत जानकारी पर्यावरणीय सलाहकार द्वारा प्रस्तुत की जायेगी। तदोपरान्त उपस्थित नागरिकों को प्रदूषण से संबंधित विभिन्न स्थानीय समस्याओं के संबंध में अपना सुझाव, टिका-टिप्पणी एवं विचार रखने का मौका प्रदान किया जायेगा।

प्रासंगिक परियोजना के पर्यावरणीय सलाहकार से अनुरोध किया कि राज्य पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण द्वारा निर्गत Terms of Reference (TOR) के तहत तैयार किये गये कार्यकारी सारांश एवं पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन में संभावित जल, वायु एवं ध्वनि प्रदूषण की रोक-थाम हेतु किये गये प्रावधानों के संबंध में उपस्थित नागरिकों को सविस्तार अवगत कराया जाय।

पर्यावरणीय सलाहकार द्वारा यह सूचित किया कि नदी से बालू का उत्खनन मात्र तीन मीटर गहराई तक ही किया जायेगा। बालू का उठाव एवं परिवहन हेतु PUC प्रमाण पत्र प्राप्त वाहनों को ही उपयोग में लाया जायेगा। बालू घाट से मुख्य पथ तक पहुँचने वाले सड़क के दोनों ओर वृक्षारोपन का कार्य, नियमित जल छिड़काव एवं साफ-सफाई करायी जायेगी। उन्होंने यह भी सूचित किया कि लगभग 350 वृक्षों को लगाने एवं ग्रामीणों के कल्याणकारी कार्यों हेतु परियोजना लागत के @2% का व्यय भी किये जाने का प्रावधान किया गया है। बालू से लदे वाहनों को तिरपाल से पूर्णतः ढक कर ही परिचालन का कार्य किया जायेगा। निर्धारित अवधि में वायु प्रदूषण एवं भू-तल जल के स्तर का अनुश्रवण किया जायेगा तथा संबंधित विभाग को अनुपालन प्रतिवेदन की प्रतियाँ उपलब्ध करायी जायेगी।

पर्षद अभियंता द्वारा तदोपरान्त उपस्थित नागरिकों से अपना विचार, टिका-टिप्पणी एवं सुझाव प्रस्तुत करने का आग्रह किया गया। निम्नलिखित नागरिकों द्वारा अपना विचार/सुझाव निम्न प्रकार प्रस्तुत किया गया:-

क्रमांक	ग्रामीण का नाम/पता	सुझाव/प्रतिक्रिया	दिये गये उत्तर
1.	श्री गुड्डू सिंह, पिता: श्री रामसुरेश सिंह, ग्राम: महुआवाँ, जिला: औरंगाबाद।	पहुँच पथ के दोनों किनारे वृक्षारोपन किया जाय, सड़क की साफ-सफाई एवं जल छिड़काव की व्यवस्था किया जाय। उन्होंने सूचित किया कि प्रास्तावित परियोजना से उन्हें कोई आपत्ति नहीं है।	पर्यावरणीय सलाहकार ने सूचना दिया कि प्रस्तावित परियोजना में 350 वृक्ष लगाने का प्रस्ताव है तथा बालू घाट एवं सड़कों पर नियमित जल का छिड़काव किया जायेगा।
2.	श्री जगन यादव, पिता: श्री कामता यादव, ग्राम: महुआवाँ, जिला: औरंगाबाद।	परियोजना से वृक्षों अथवा खेतों के फसल की कोई क्षति न हो एवं ओवरलोड वाहनों के संचालन पर पूर्ण प्रतिबंध हो। स्थानीय युवाओं को रोजगार इस परियोजना के तहत दिये जाने का प्रावधान प्राथमिकता के आधार पर किया जाय।	प्रस्तावित परियोजना के प्रतिनिधि ने स्वीकार किया कि स्कील के आधार पर स्थानीय लोगों को रोजगार में प्राथमिकता दी जायेगी।

तदोपरान्त अपर समाहर्ता ने प्रस्तावित परियोजना के प्रतिनिधि को यह निदेश दिया कि बालू घाट में एक स्थायी कार्यालय की स्थापना अनिवार्य रूप से की जाय। कार्यालय के मुख्य द्वार पर बालू घाट के पट्टा स्वामी अथवा जिम्मेदार व्यक्ति/कर्मियों का नाम एवं दूरभाष संख्या अंकित करते हुए एक नाम पट्टिका अनिवार्य रूप से लगाया जाय, ताकि विशेष परिस्थितियों में संबंधित से संपर्क कर पदाधिकारी अथवा स्थानीय लोग अपनी कठिनाईयों से उन्हें अवगत करा सकें।

तदोपरान्त सहायक पर्यावरण अभियंता द्वारा प्रासंगिक प्रस्ताव को स्वीकृत करने एवं प्रस्ताव को पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु राज्य पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण को अग्रेसरित करने हेतु स्थानीय नागरिकों से उनका विचार रखने को कहा गया। उपस्थित नागरिकों द्वारा हाथ उठाकर ध्वनि मत से प्रस्तावित परियोजना की स्वीकृति दी गयी।

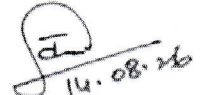
लोक-सुनवाई में उपस्थित होकर अपना विचार/सलाह देने हेतु उपस्थित नागरिकों एवं पदाधिकारियों को पर्षद के अभियंता द्वारा धन्यवाद ज्ञापन किया गया तथा अध्यक्ष महोदय की अनुमति से बैठक की समाप्ति की घोषणा की गयी।

लोक सुनवाई में उपस्थित सभी पदाधिकारियों एवं स्थानीय नागरिकों की सहमति से प्रस्तावित परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु प्रस्ताव को राज्य पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण को अग्रेसरित करने की एतद् द्वारा अनुशंसा की जाती है।


14/08/26

(अंजनी कुमार सिन्हा)

सहायक पर्यावरण अभियंता,
बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद, पटना

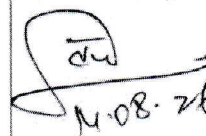
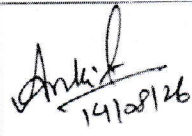
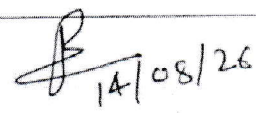
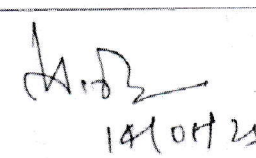

14.08.26

(जय प्रकाश नारायण)

अपर समाहर्ता, लो0शि0नि0प0
औरंगाबाद

उपस्थिति सूची

मेसर्स उमा एसोसिएट इन्फ्राटेक डेवलपर्स, निदेशक: आनन्द सिंह,
पिता: श्री राम गोपाल सिंह, पता: एस 20/56-102एफ/2/3 सोनल
सदन, द माल रोड कैन्टोन्मेंट, जिला-वाराणसी, उत्तर प्रदेश-221002
द्वारा औरंगाबाद सोन नदी स्थित औरंगाबाद ब्लॉक-32 MoEF
सोन-1C बालू घाट, मौजा-महुआवाँ, पोस्ट+थाना-बरेम ओ०पी०,
ब्लॉक-नबीनगर, जिला-औरंगाबाद राज्य-बिहार का प्रस्तावित बालू
खनन परियोजना हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति दिनांक: 14.08.2026 को
12:30 बजे अपराह्न में प्रखंड कार्यालय, नबीनगर, जिला-औरंगाबाद
में आयोजित लोक सुनवाई के दौरान उपस्थित महानुभावों की सूची:

क्र०सं०	नाम	पता	हस्ताक्षर
1.	जय प्रकाश वाराणसी	ADM (DP&RO) Aurangabad	 14.08.26
2.	अंजली कुमार सिन्हा	वैद्यक एवं आर्थिक RSPB, Patna	 14.08.26
3.	अंकित कुमार	MDO Aurangabad	 14/08/26
4.	राजु कुमार	खान निरीक्षक, औरंगाबाद	 14/08/26
5.	कुमार प्रभूष	खान निरीक्षक औरंगाबाद	 14/08/26
6.	Juddu Kumar	मेसर्स उमा एसोसिएट इन्फ्राटेक डेवलपर्स	
7.	सचीन कुमार विनोद यादव	महुआवा	सचीन कुमार
8.	Deepak Kumar Rameshwar Jeehar	Mahuawar	Deepak

9.	Bimesh Kumar Sagdish Yadav	Mahuaad	Bishk
10.	Ramashankar yadav krishna yadav	Mahumad mo. 7041197630	Ram
11.	अनिल सिंह गाम - नेहरू	नेहरू 8521958167	Anil
12.	गुड्डु सिंह राम सुरेश सिंह	महुडा	Gully
13.	जगत भाई कामल भाई	महुडा	जगत भाई
14.	विक्रम - कुमल विदेन्द्र कुमार	महुडा 8825209371	Vikash Kumar
15.	विनाय भाई दिल भाई	महुडा	विनाय भाई
16.	पुरु भाई गणेश भाई	महुडा 7779854716	पुरु भाई
17.	अमिलेश कुमार लाल मोहन सिंह	रघुनाथ 7903774060	Amil
18.	बनारु कुमार सरदार पालाग	साधना 9931624589	गुरु भाई
19.	सुनील कुमार सुरेंद्र सिंह	साधना 980748144	सुनील कुमार

20.	447. 44711 कमेश्वर टाकुर ससना	ससना	447 44711
21.	मना कुमार शर्मा	Consultant Ran Guro Pvt Ltd. Petra	<u>Mu</u>
22.			<u>30</u> 14.08-26
23.			
24.			
25.			
26.			
27.			
28.			
29.			
30.			